

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 97

दिनांक:- 03.11.2019

प्रश्नकर्ता का नाम:- माननीय विधायक श्री सुखबीर सिंह दलाल
क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
क) दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य के द्वारा किसी विधवा के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी होने और विधवा महिला का दिल्ली में 5 वर्ष से अधिक रहते हुए होने की स्थिति में क्या वह विधवा पेंशन पाने की हकदार है;	हाँ।
ख) दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र होने के आधार पर 01.01.2015 से 01.01.2019 तक मुन्डका विधान सभा के रद्द हुए सभी विधवा पेंशन के मामलों का पूर्ण ब्यौरा दीजिये; और	इस कार्यालय ने 01.07.2015 से स्वतंत्र कार्यभार संभाला है। अतः ब्यौरा इस प्रकार है :- 7/15 से 3/16 - 02 4/16 से 3/18 - कोई नहीं 4/17 से 3/18 - कोई नहीं 4/18 से 01/19 - 02 विधान सभा से सम्बंधित व्यक्तिगत जानकारी संवदनशील होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे तो पूर्ण जानकारी दी जा सकती है।
ग) क्या यह सत्य है कि सरकार की उन बच्चों के लिए कोई पेंशन योजना है जिन बच्चों के पिता/माता या दोनों का देहांत हो चुका है ;	इस कार्यालय में ऐसी कोई योजना नहीं है।
घ) यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिये; और	लागू नहीं।
ड) इस योजना के अंतर्गत आवेदन अंकरने की प्रक्रिया क्या है ?	लागू नहीं।

Indupreet
इन्दरप्रीत पाठक
उप- निदेशक 30/11/19
(आर्थिक सहायता अनुभाग)
DD (F&B)
Dept. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi